वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सा०/No. : 5-1(302)/2015-PD   Dated 25.01.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 06.01.2022 Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure Office Memorandum No. 19030/1/2017-E.IV dated 06.01.2022	सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) का दिया जाना । Admissibility of Composite Transfer Grant (CTG) on Retirement.

भवदीय/Yours faithfully,

25-01-2022

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/ Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

सं.19030/1/2017-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नई दिल्ली, 06 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) का दिया जाना।

व्यय विभाग में अनेकों संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में सेवानिवृत्ति के पश्चात व्यवस्थापन के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) दिए जाने के बारे में मांग की गई है। इस संबंध में, मौजूदा नियमों के अनुसार, इस समय ड्यूटी में अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर से अनधिक स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने के लिए सीटीजी की एक तिहाई राशि देय है।

2. इस विभाग में, इस मामले पर विचार किया गया है। दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4(ii) (क) और (ख) में आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार के उस कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, के संबंध में संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की शर्त को हटा दिया जाए, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इसमें आवास का परिवर्तन वास्तविक रूप से शामिल है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ड्यूटी के अन्तिम स्टेशन या अन्तिम स्टेशन से भिन्न स्टेशन में व्यवस्थापन करने के लिए सीटीजी की पूरी राशि अर्थात अन्तिम माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से देय होगी। कर्मचारी को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-I में संलग्न विहित प्रोफार्मा में आवास के परिवर्तन संबंधी स्व घोषणा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. यदि यह व्यवस्थापन अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में या इससे बाहर किया जाना है तो सीटीजी की राशि इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 4(ii) (क) के अनुसार अन्तिम माह के मूल वेतन के शत-प्रतिशत की दर से संदेय होगी।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत अधिदेश के रूप में हैं।

5. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

6. इसे वित्त सचिव और सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपिः मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि।

अनुबंध-I

सेवानिवृत्ति पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (सीटीजी) के दावे के लिए निवास स्थान परिवर्तन का स्वतः घोषणा-प्रमाणपत्र

(व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 06.01.2022 के का.ज्ञा. सं. 19030/1/2017-ई.IV का अनुबंध)

मैं, ... (कर्मचारी का नाम) एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ तथा प्रमाणित करता/करती हूँ किः

1. मैने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरांत व्यवस्थापन के लिए अपना निवास स्थान...................... से बदलकर....................................... कर लिया है।

2. यदि मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा किसी भी स्तर पर सही नहीं पायी जाती है तो मैं समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1976 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई तथा सरकार को शास्तिक ब्याज सहित रकम के प्रतिदाय के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक/पेशनभोगी का नाम--------------------

मंत्रालय/विभाग का नाम-------------------------

पता और दूरभाष सं.---------------------------

सेवा में

प्रशासनिक/स्थापना अनुभाग

मंत्रालय/विभाग--------------------------

No.19030/1/2017- E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi,
Dated the 6th January, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Admissibility of Composite Transfer Grant (CTG) on Retirement.

References have been received in Department of Expenditure seeking clarification on admissibility of Composite Transfer Grant (CTG) in r/o Central Government employees on settlement after Retirement at the last station of duty or other than last station of duty. As per existing rules in this regard, one third of CTG is admissible at present for settling down at last station of duty or at a station not more than 20 km. from the last station of duty.

2. The matter has been considered in this Department. In partial modification of Para 4 (ii) (a) and (b) of the O.M. of even No. dated 13.07.2017, it has been decided that for the purpose of Composite Transfer Grant in r/o Central Government employee who wishes to settle down at the last station of duty or other than last station of duty after retirement, the condition of 20 km. from the last station of duty, is done away with subject to the condition that change of residence is actually involved. To settle down at the last station of duty or other than last station of duty after retirement, full CTG would be admissible i.e. at the rate of 80% of the last month's basic pay. The employee has to submit a Self-declaration Certificate regarding change of residence in prescribed format enclosed with this O.M. as Annexure – I.

3. In case of settlement to and from the Island territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep, CTG shall be paid at the rate of 100% of last month's Basic Pay in terms of Para 4 (ii) (a) of this Department's O.M. No. 19030/1/2017- E.IV dated 13.07.2017.

4. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

5. These orders will be effective from the date of issue of the O.M.

6. This is issued with the approval of the Finance Secretary and Secretary (Expenditure).

Hindi version is attached.

(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries / Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to :- C&AG and UPSC etc. as per standard endorsement list.

(Annexure – I)

Self-declaration Certificate for Change of Residence for claiming Composite Transfer Grant (CTG) on Retirement

(Annexure to O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 06.01.2022 issued by D/o Expenditure, M/o Finance, Government of India)

I, ...(Name of the employee) hereby declare and certify that:

1. I have changed my residence from.. to...for settlement on my retirement.

2. In case the above declaration given by me is not found true at any stage, I shall be liable to disciplinary action under Central Civil Services (Pension) Rules, 1976 as amended from time to time and to refund the sum along with penal interest thereon to the Government.

(Signature/Thumb impression)

Name of the retired Government servant/Pensioner.......................................

Name of the Ministry/Department.......................................

Address and Phone Number.......................................

To

Admin/Establishment Section

Ministry/Department..............